संख्या–265/वि.आ.निदे. /XXVII(1)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायतें,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः 29 मार्च, 2019**

विषयः– **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पंचायतों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पंचायतों को मूल अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु ₹6,39,07,000.00 (₹छः करोड़ उन्तालीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

1. अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथाः जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख–रखाव हेतु किया जायेगा।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के नवीनतम आंकड़ों एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर 14वें वित्त आयोग की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे।
4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित एनेक्सर–III पर वांछित सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 30.06.2019 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
7. अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध करायेगा।
8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके

द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

9. अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 की **अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक— 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**—01—नगरीय स्थानीय निकाय—193—नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/ कमेटी आदि—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0103—केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या— /वि.आ.निदे. /XXVII(1)/ 2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 43/6, धर्मपुर, माता मन्दिर रोड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी—उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 265 /वि.आ.निदे./xxvii(1)/ 2018

::देहरादून:: दिनांक: 29 मार्च, 2019

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में मूल अनुदान के अन्तर्गत समस्त नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1122
	2	भिक्यासैण	1261
		योग	**2383**
बागेश्वर	3	कपकोट	1406
		योग	**1406**
चमोली	4	नन्दप्रयाग	1061
	5	गैरसैंण	2158
	6	पोखरी	1813
	7	थराली	1266
	8	पीपल कोटी	1468
		योग	**7766**
चम्पावत	9	लोहाघाट	1772
	10	बनबसा	1227
		योग	**2999**
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	2219
	12	लण्डौरा	3397
	13	भगवानपुर	3242
	14	पीरान कलियर	3625
		योग	**12483**
पौड़ी गढ़वाल	15	जौंक (स्वर्गाश्रम)	1553
	16	सतपुली	1072
		योग	**2625**
पिथौरागढ़	17	गंगोलीहाट	1808
	18	बेरीनाग	1936
		योग	**3744**
रूद्रप्रयाग	19	अगस्तमुनी	1503
	20	ऊखीमठ	1110
	21	तिलवाड़ा	1106
		योग	**3719**
टिहरी गढ़वाल	22	कीर्तिनगर	1090

	23	घनसाली	1535
	24	लम्बगॉव	1047
	25	चमियाला	1180
		योग	**4852**
टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्र नगर	26	गजा	1047
		योग	**1047**
नैनीताल	27	कालाढूंगी	1506
	28	लालकुँआ	1702
	29	भीमताल	1690
		योग	**4898**
ऊधमसिंह नगर	30	दिनेशपुर	2373
	31	केलाखेड़ा	2341
	32	महुआडाबरा हरिपुरा	1625
	33	शक्तिगढ़	1303
	34	सुल्तानपुर	2077
	35	नानकमत्ता	1986
	36	गुलरभोज	1047
		योग	**12752**
उत्तरकाशी	37	पुरोला	1837
	38	नौगॉव	1396
		योग	**3233**
योग			**63907**

(₹छः करोड़ उन्नतालीस लाख सात हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2018-2019

अनुदान शंख्या - 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

01 - नगरीय स्थानीय निकाय

193 - नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

03 - केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1903073803	28-MAR-2019	4669000	4898000	
2	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1903073793	28-MAR-2019	2267000	2383000	
3	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1903073799	28-MAR-2019	3559000	3744000	
4	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1903073802	28-MAR-2019	999000	1047000	
5	4000-Chamoli (Gopeswar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1903073795	28-MAR-2019	7379000	7766000	
6	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1903073805	28-MAR-2019	3075000	3233000	
7	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1903073798	28-MAR-2019	2495000	2625000	
8	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1903073801	28-MAR-2019	4626000	4852000	
9	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1903073797	28-MAR-2019	11922000	12483000	
10	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1903073804	28-MAR-2019	12153000	12752000	
11	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1903073796	28-MAR-2019	2859000	2999000	
12	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1903073794	28-MAR-2019	1336000	1406000	
13	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1903073800	28-MAR-2019	3545000	3719000	
		Total :			60884000	63907000	